I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB GURGAON **Year (वर्ष):** 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0030 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 23/08/2022 15:48 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	420
3	IPC 1860	467
4	IPC 1860	468
5	IPC 1860	471
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)E

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 23/08/2022 **Time (समय):** 14:20 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 019 **Date and Time (दिनांक और समय):** 23/08/2022 15:18 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 70 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): जिला रेवाडी,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** Jai Chand

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 15/03/1966 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	Udhina, SADAR NARNAUL, MAHENDERGARH, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	Udhina, SADAR NARNAUL, MAHENDERGARH, HARYANA, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9466357877

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	EHC औमप्रकाश नं0 1081 RWR		Father's Name: श्री शेर सिंह	1. गांव मुन्दडा,REWARI,HARYANA,INDIA
2	उर्मिला		Husband's Name: थावरमल	1. गाव भांगरोला,GURUGRAM,HARYANA,INDIA
3	महेन्द्र सिंह		Father's Name: शेरसिंह	1. गांव मुन्दडा,REWARI,HARYANA,INDIA
4	योगेन्द्र सिंह एडवोकेट		Father's Name: श्री शिव प्रकाश	1. उप तहसील मनेठी जिला रेवाडी,REWARI,HARYANA,INDIA
5	मवासीराम		Father's Name: रतन सिंह	1. गांव सुर्खपुर,REWARI,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा मे, प्रबन्धक अफसर थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम । विषय :- प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज करने बारे तहरीर । निवेदन है कि जांच क्रमांक 03 दिनांक 07.11.2017 रेवाडी महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के कार्यालय के पत्र क्रमांक 13758-59/आई-2/रा0चौ0ब्यू0 दिनांक 07.11.2017 व पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम कार्यालय के डायरी न0 2494 दिनांक 13.11.2017 के अनुसार जिसमे श्री धर्मबीर पुत्र श्री रामस्वरुप शर्मा निवासी गांव सुर्खपुर तहसील कोसली जिला रेवाडी की शिकायत के आधार पर आरोपो की पडताल के लिए प्राप्त हुई थी ।

2. जांच मे आरोप थे कि प्रतिवादी ई0एच0सी0 औमप्रकाश न0 1081/रेवाडी पुत्र श्री शेर सिह गांव मुन्दडा तहसील कोसली जिला रेवाडी की पत्नी उमेश देवी के नाम वसीका न0 936 दिनांक 10.7.2013, वसीका न0 976 दिनांक 12.07.2013, वसीका न0 1075 दिनांक 23.07.2013, वसीका न0 184 दिनांक 21.05.2014, वसीका न0 238 दिनांक 29.05.2014, वसीका न0 372 दिनांक 26.06.2014, वसीका न0 946 दिनांक 29.09.2014, वसीका न0 1408 दिनांक 14.11.2014, वसीका न0 2066 दिनांक 12.01.2015, वसीका न0 411 दिनांक 17.06.2015, वसीका न0 836 दिनांक 18.02.2008, वसीका न0 174 दिनांक 24.04.2012, वसीका न0 1778 दिनांक 11.11.2013, वसीका न0 256 दिनांक 04.06.2015, वसीका न0 343 दिनांक 09.06.2016, वसीका न0 1 दिनांक 01.04.2013, वसीका न0 1796 दिनांक 13.11.2013, वसीका न0 2230 दिनांक 16.01.2014, वसीका न0 4852 दिनांक 19.10.2015, वसीका न0 9510 दिनांक 28.03.2011, वसीका न0 18.05.2016 के नाम से करोडो रुपये की जमीन खरीद कर रखी है तथा गांव गुडयानी के आस-पास के गांवो मे भी इसकी सम्पति है । इसके पास 2 गाडी न0 एच0आर0-43बी0-7707 स्विफट कार व एच0आर0-43बी0-7000 स्कोर्पियो है । यह नौकरी के साथ –साथ प्रोपर्टी डिलिग का काम करता है । प्रतिवादी ओमप्रकाश फौज से सेनानिवृत हुआ था । उसके बाद हरियाणा पुलिस मे सिपाही के पद पर भर्ती

हुआ । यह कर्मचारी एक साधारण पद पर रहते हुये तथा साधारण परिवार से होते हुये करोडो रुपयो की सम्पति का मालिक है ।

3. आरोपो की पडताल के दौरान पाया गया कि प्रतिवादी ई0एच0सी0 औमप्रकाश न0 1081/रेवाडी पुत्र श्री शेरसिह गांव मुन्दडा तहसील कोसली जिला रेवाडी वर्ष 1991 मे भारतीय सेना मे भर्ती हुआ था तथा मार्च 2007 मे सेना से सेवानिवृत हो गया । इसके बाद जून 2007 मे ही हरियाणा पुलिस मे सिपाही के पद पर भर्ती हुआ है जिसकी तैनाती बारे सेना शाखा रेवाडी ने लिखकर दिया है कि इसकी दिनांक 10.08.2009 को अस्थाई डियुटी आर0टी0सी0 भौण्डसी दिनांक 31.08.2009 को पुलिस लाईन रेवाडी दिनांक 24.05.2010 से दिनांक 25.08.2016 तक आई0जी0पी0/एस0आर0/रेवाडी व अस्थाई डियुटी श्री के0के0 शर्मा भा0पु0से0 के साथ तथा दिनांक 25.08.2016 से 17.11.2018 तक प्रतिनियुक्ति डियुटी HVPNL मे रही है । प्रतिवादी औमप्रकाश पांच भाई व एक बहन है सभी अलग-अलग रहते है पिता जी का वर्ष 2014 मे देहान्त हो चुका है ।

4. प्रतिवादी औमप्रकाश द्वारा सेना मे नियुक्ति से सेवानिवृति तक (1991 से मार्च 2007) कुल 2562550/रुपये वेतन प्राप्त किया गया है जिसका 40 प्रतिशत 10,25,020/रुपये बनते है जिसको उसकी आय मे शामिल किया गया है । इसी प्रकार प्रतिवादी जब मार्च 2007 मे सेना से सेवानिवृत हुआ था उस समय का अन्तिम लेखा जोखा 21,23,163/ रुपये प्राप्त हुये जिसको उसकी आय मे जोडा गया है । इसी अवधि के दौरान वर्ष 2001 मे वसीका न0 1138 दिनांक 02.11.2001 अनुसार अपने भाईयो के साथ मिलकर कुल 19 कनाल 2 मरला जमीन खरीदी गई है जिसमे प्रतिवादी का 8 कनाल कृषि योग्य भूमि मे हिस्सा होने पर स्टाम्प डियुटी सहित 1,80,000/ रुपये खर्च करना पाया गया है । वर्ष 2007 से वर्ष 2008 तक प्रतिवादी का हरियाणा पुलिस से प्राप्त वेतन का 40 प्रतिशत से आय 30,410/ रुपये, पैशन से आय 18,329/रुपये तथा वर्ष 2008 मे वेतन से आय 45,509/ रुपये तथा पैंशन 26,033/ रुपये व वसीका न0 1571 दिनांक 27.10.2008 अनुसार कृषि योग्य भूमि, जो वसीका न0 1138 दिनांक 02.11.2001 के अनुसार खरीद की गई थी, को बेचने से आय 10,00,000/रुपये बनती है । इस अवधि के दौरान वसीका न0 836 दिनांक 18.07.2008 अनुसार प्रतिवादी द्वारा अपनी पत्नी उमेश देवी के नाम से गांव मुन्दडा मे 3 कनाल 14 मरला भूमि खरीद करने पर खर्च 4,25,000/ रुपये करना पाया गया है । अप्रैल 2009 से मार्च 2012 तक वेतन से आय (58,59266,73174,801) 2,00,124/ रुपये वर्ष 2009 से 2012 तक पैशन से आय (71,5751,75,77888,899) 3,36,252/ रुपये हुई है । इसी अवधि के दौरान वसीका न0 9510 दिनांक 28.03.2011 अनुसार शहर रेवाडी मे अपनी पत्नी के नाम मकान खरीद पर स्टाम्प डियुटी सहित 42,78,690/ रुपये व वसीका न0 137 दिनांक 26.04.2011 अनुसार 2 कनाल 15 मरला जमीन गांव गोपाल पुर गाजी मे अपनी पत्नी के नाम पर खरीदने पर 3,53,720/ रुपये खर्च करना पाया गया है । इस प्रकार वर्ष 1991 से मार्च 2012 तक सभी साधनो की आय से 4,32,570/ रुपये अधिक खर्च कराना पाया गया है ।

5. वर्ष 2012-2013 मे प्रतिवादी के वेतन, पेशन व वसीका न0 5508 दिनांक 20.03.2012 अनुसार गांव मुन्दडा मे जमीन बेचने , वसीका न0 107 दिनांक 16.04.2012 के अनुसार गांव मुन्दडा मे जमीन बेचने से, वसीका न0 8195 दिनांक 28.12.2012 अनुसार शहर रेवाडी मे, जो वसीका न0 9510 दिनांक 28.03.2011 अनुसार खरीद किये गये मकान का 1/2 भाग बेचने से कुल आय 36,17,968/ रुपये बनती है । इसी अवधि के दौरान वसीका न0 5507 दिनांक 20.03.2012 अनुसार 5 कनाल 4 मरला जमीन गांव मुन्दडा मे, वसीका न0 174 दिनांक 24.04.2012 अनुसार 7 कनाल 1 मरला जमीन का 2/3 भाग गांव मुन्दडा मे अपनी पत्नी उमेश देवी के नाम खरीदने पर कुल 23,84,503/ रुपये खर्च करना पाया गया है । इस प्रकार वर्ष, 1991 से मार्च 2013 तक सभी साधनो की आय मे से खर्च घटाने पर 12,33,465/ रुपये बचत होनी पाई गई है ।

6. वर्ष 2013-2014 मे प्रतिवादी के वेतन, पैशन व वसीका न0 23 दिनांक 05.04.2013 अनुसार गांव मुन्दडा मे 4.5 मरला जमीन बेचने, वसीका न0 1887 दिनांक 27.11.2013 अनुसार प्रतिवादी द्वारा अपने भाईयो के साथ मिलकर 13 कनाल 10 मरला जमीन बेचने, वसीका न0 1888 दिनांक 27.11.2013 अनुसार 16 कनाल जमीन प्रतिवादी के पिता शेरसिह द्वारा बेचने पर प्रतिवादी के हिस्से 1/5 से आई हुई राशी से 30,73,161/ रुपये आय होनी पाई गई । इसी अवधि के दौरान प्रतिवादी द्वारा वसीका न0 01 दिनांक 01.04.2013 अनुसार 4.5 मरला जमीन गांव मुन्दडा मे, वसीका न0 25 दिनांक 05.04.2013 अनुसार गांव गुडयानी मे एक प्लाट, वसीका न0 936 दिनांक 10.07.2013 अनुसार गुडयानी मे एक प्लाट व वसीका न0 976 दिनांक 12.07.2013 अनुसार गांव गुडयानी मे एक दुकान का 1/2 भाग, वसीका न0 1075 दिनांक 23.07.2013 अनुसार गांव गुडयानी मे एक प्लाट, वसीका न0 1778 दिनांक 11.11.2013 अनुसार गांव मुन्दडा मे 2 कनाल 1 मरला जमीन तथा वसीका न0 1796 दिनांक 13.11.2013 अनुसार गांव गोपालपुर गाजी मे 6 मरला भूमि अपनी पत्नी उमेश देवी के नाम खरीद करने पर कुल 42,39611/ रुपये खर्च करना पाया गया है । इस प्रकार वर्ष 1991 से मार्च 2014 तक सभी साधनो की आय से 11,66,450/ रुपये आय से अधिक खर्च करना पाया गया है ।

7. वर्ष 2014-2015 मे प्राप्त वेतन के 40 प्रतिशत, पैंशन तथा वसीका न0 238 दिनांक 29.05.2014 के अनुसार 6 कनाल जमीन खरीद की गई उस पर खर्च 11,58,750/रूपये, वसीका नं0 271 दिनांक 09.06.2014 के अनुसार गांव गुडयानी में 6 मरला बेचने से आय, वसीका नं0 238 दिनांक 29.05.2014 अनुसार खरीद की गई 6 कनाल जमीन मे से 6 मरला जमीन बेचने पर आय, वसीका नं0 3278 दिनांक 07.08.2014 अनुसार शहर रेवाडी मे रिहायशी मकान जो वसीका नं0 9510 दिनांक 28.03.2011 अनुसार खरीद किये गये मकान को बेचने से आय, वसीका नं0 861 दिनांक 08.09.14 अनुसार गुडयानी मे वसीका नं0 238 दिनांक 29.05.2014 अनुसार खरीद की गई 6 कनाल जमीन मे से 3 कनाल जमीन बेचने पर आय, वसीका नं0 1360 दिनांक 10.11.2014 अनुसार गांव गुडयानी मे, वसीका नं0 238 दिनांक 29.05.2014 अनुसार खरीदी गई 6 कनाल जमीन मे से 10 मरला जमीन बेचने पर कुल आय 35,59,358/रूपये बनती है और इसी अवधि के दौरान वसीका नं0 2230 दिनांक 16.01.2014 अनुसार गावं गोपालपुर गाजी मे 7 कनाल 2 मरला जमीन खरीदने, वसीका नं0 184 दिनांक 21.05.2014 गांव गुडयानी मे 7 मरला जमीन मे से 1/2 भाग खरीदने, वसीका नं0 238 दिनांक अनुसार गांव गुडयानी 6 कनाल जमीन मे से 1/2 भाग खरीदने, वसीका नं0 372 दिनांक 26.06.2014 गांव गुडयानी मे एक प्लाट खरीदने, वसीका नं0 946 दिनांक 29.09.2014 अनुसार गांव गुडयानी मे एक प्लाट खरीदने, वसीका नं0 1408 दिनांक 14.11.2014 अनुसार अपनी पत्नी के नाम जमीन खरीद करने पर किया गया कुल खर्च 51,32,115/रूपये बनता है। इस प्रकार वर्ष 1991 से मार्च 2015 तक सभी साधनो की आय से 15,72,757/रूपये आय से अधिक खर्च करना पाया गया है।

8. इसी प्रकार वर्ष 2015-2016 मे प्रतिवादी के वेतन, पैंशन, प्रतिवादी की माता की पैंशन, वसीका नं0 2066 दिनांक 12.01.2015 अनुसार खरीदी जमीन करने पर खर्च 4,63,500/रूपये, वसीका नं0 2104 दिनांक 16.01.2015 अनुसार 5 मरला जमीन जो वसीका नं0 2066 दिनांक 12.01.2015 के अनुसार खरीदी जमीन को बेचने से, वसीका नं0 1376 दिनांक 06.10.2015 अनुसार गांव गुडयानी मे 4.5 मरला जमीन बेचने तथा वसीका 8734 दिनांक 16.12.2015 अनुसार 5 मरला दुकान गांव गुडयानी जो वसीका नं0 976 दिनांक 12.07.2013 अनुसार अपनी पत्नी उमेश देवी के नाम 1/2 भाग खरीदी दुकान को बेचने से कुल आय 16,16,297/रूपये बनती है। इसी अवधि के दौरान वसीका नं0 256 दिनांक 04.06.2015 अनुसार गांव मुन्दडा मे 7 कनाल 4 मरला कृषि भूमि, वसीका नं0 411 दिनांक 17.06.2015 अनुसार गांव गुडयानी मे 4.5 मरला का प्लाट तथा वसीका नं0 4852 दिनांक 19.10.2015 अनुसार गांव जाटुसाना मे 450 वर्ग गज का प्लाट अपनी पत्नी उमेश देवी के नाम खरीद करने पर कुल खर्च 63,60,969/रूपये खर्च

करना पाया गया। इस प्रकार वर्ष 1991 से मार्च 2016 तक सभी साधनो की आय से 47,44,672/रूपये आय से अधिक खर्च करना पाया गया है।

9. वर्ष 2016-2017 मे प्रतिवादी के वेतन, पेंशन व उसकी माता की पेंशन से आय 5,27,101 रू0 बनती है। इसी अवधि मे वसीका नं0 343 दिनांक 08.06.2016 अनुसार गांव मुन्दडा मे कृषि योग्य भूमि खरीद करने पर खर्च 24,87,500/रूपये व प्रतिवादी द्वारा स्विफ्ट कार नं0 एच0आर0-43बी-7707 खरीदने पर नगद भुगतान करने पर खर्च 6,96,550/रूपये है। इस प्रकार वर्ष 2016-2017 में कुल खर्च 79,28,722/रूपये किया है। इस प्रकार वर्ष 1991 से मार्च 2017 तक सभी साधनो की आय से 74,01,621/रूपये अधिक खर्च करना पाया गया है।

10. नवम्बर 2017 तक प्रतिवादी के वेतन, पेंशन व उसकी माता की पेंशन तथा प्रतिवादी व उसकी पत्नी के नाम कृषि योग्य भमि को पटटे पर वर्ष 2010 से 2017 तक दिये जाने पर कुल आय 8,42,285/रूपये बनती है। इसी अवधि दौरान प्रतिवादी द्वारा कोई भी राशी खर्च की जानी नही पाई गई है। इस प्रकार प्रतिवादी ई0एच0सी0 औमप्रकाश की वर्ष 1991 से नवम्बर 2017 तक सभी साधनो की आय 1,68,07,725/रूपये बनती है तथा वर्ष 1991 से नवम्बर 2017 तक प्रतिवादी द्वारा 2,33,67,061/रूपये खर्च करने पाये गये है। इस प्रकार प्रतिवादी औमप्रकाश द्वारा वर्ष 1991 से नवम्बर 2017 तक सभी साधनो की आय से 65,59,336/रूपये अधिक सम्पति खरीदने मे खर्च किये गये है। प्रतिवादी ई0एच0सी0 औमप्रकाश नं0 1081 रेवाडी द्वारा आय से 65,59,336/रूपये की सम्पति ज्यादा एकत्रित करना पाया गया है।

11. जांच की पड़ताल के दौरान प्रतिवादी की बहन उर्मिला द्वारा दिये गये शपथ पत्र से पाया गया है कि यह शपथ पत्र क्रमांक 3702 दिनांक 01.04.2013 को खरीद करना पाया गया जिस बारे स्टाम्प विक्रेता मामन सिंह ने भी अपने कथन मे स्पष्ट किया है। मामन सिंह द्वारा उस शपथ पत्र के पीछे उर्मिला पत्नी थावरमल निवासी भांगरोला गुरूग्राम अकिंत किया हुआ है तथा उसने शपथ पत्र में अपनी लिखाई स्वीकार की है परन्तु इसके साथ में 12.11.2012 तिथी अकिंत की गई वह उसके द्वारा अंकित नही की गई है शपथ पत्र पर दो गवाह 1. नरेन्द्र पुत्र श्री शेर सिंह निवासी मुण्डडा 2. मवासी राम पुत्र रतन सिंह निवासी सुर्खपुर दर्शाया हुये है और हस्ताक्षरों के नीचे 14.11.2012 तिथी अंकित की हुई है। शपथ पत्र को तस्दीक करने वाले नोटेरी पब्लिक योगेन्द्र सिंह द्वारा अपने कथन मे अंकित कराया कि उसे नोटरी की अथोरिटी भारत सरकार द्वारा दिनांक 26.10.2016 को दी गई है। शपथ पत्र मे तिथीयों कि भिन्नता व शपथ पत्र वर्ष 2016 मे तस्दीक होने बारे व उर्मिला द्वारा अपने बैक खाते की पेश की गई विवरणी वर्ष 2011 तक है जिसमे निकाली हुई राशी चैक से दर्शायी हुई है जबकि उर्मिला ने अपने कथन मे नकद 30 लाख रूपये उधार देने बतलाया है। इन सभी तथ्यो को देखते हुए यह शपथ पत्र फर्जी तैयार किया जाना पाया गया है तथा प्रतिवादी द्वारा लाभ लेने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाना पाया गया है। सभी तथ्यो को मध्यनजर रखते हुए यह राशी उधार दी जानी प्रतीत नही होती इसलिए इस राशी को प्रतिवादी की आय मे शामिल नही किया गया है। प्रतिवादी द्वारा यह राशि अपनी ITR में भी शामिल नही की गई है इसलिये भी इस राशी को प्रतिवादी की आय मे नही जोडा गया है।

12. प्रतिवादी के पिता शेरसिंह द्वारा वसीका नं0 1888 दिनांक 27.11.2013 अनुसार 16 कनाल जमीन 40,00,000/रूपये मे बेची गई थी। प्रतिवादी के हिस्से मे 1/5 भाग यानी 8,00,000/रूपये आये थे जिसको उसकी आय मे जोडा गया है। प्रतिवादी के सभी भाई अलग-अलग रह रहे है कोई संयुक्त परिवार नही है। प्रतिवादी के भाईयो द्वारा अवगत कराया गया है कि 32,00,000/रूपये प्रतिवादी औमप्रकाश को नगद उधार दिये थे। प्रतिवादी ने अपने भाईयो से नगद उधार लेने बारे शपथ पत्र के अलावा कोई ओर साक्ष्य नही दिया गया है और ना ही लेन देन चैक के माध्यम से हुआ है और ना ही प्रतिवादी द्वारा इस लेन देन की वार्षिक आयकर रिटर्न भरी है। उपरोक्त तथ्यो को देखते हुए प्रतिवादी के भाईयो द्वारा 32,00,000/रूपये दिये गये उनको उसकी आय मे शामिल नही किया गया।

13. इस प्रकार ई0एच0सी0 औमप्रकाश नं0 1081/रेवाडी पुत्र श्री शेरसिंह गांव मुन्दडा तहसील कोसली जिला रेवाडी ने आय से ज्यादा सम्पति एकत्रित करके अपने बचाव मे अपनी बहन उर्मिला पत्नी थावरमल निवासी भांगरोला गुरूग्राम तथा शपथ पत्र के गवाहन महेन्द्र सिंह पुत्र शेरसिंह वासी मुण्दडा, योगेन्द्र सिंह एडवोकेट (नोटेरी) पुत्र श्री शिव प्रकाश गाँव कुन्डल जाति राजपूत उप तहसील मनेठी जिला रेवाडी व मवासीराम पुत्र रतन सिंह वासी सुर्खपुर जिला रेवाडी से मिली भगत करके धोखा देने की नियत से फर्जी शपथ 30,00,000/रूपये नकद उधार लेने बारे तैयार करके, अपने पक्ष में उपयोग करके अपराध धारा 420,120बी0,467,468,471 भा0द0स0 तथा धारा 13(2) r/w 13(1)(e) पी0सी0 एक्ट का अपराध किया है। ई0एच0सी0 औमप्रकाश नं0 1081/रेवाडी पुत्र श्री शेर सिंह गांव मुन्दडा तहसील कोसली जिला रेवाडी, उर्मिला पत्नी थावरमल निवासी भांगरोला गुरूग्राम, शपथ पत्र के गवाहन महेन्द्र सिंह पुत्र शेर सिंह वासी मुण्दडा, योगेन्द्र सिंह एडवोकेट (नोटेरी) पुत्र श्री शिव प्रकाश गाँव कुन्डल जाति राजपूत उप तहसील मनेठी जिला रेवाडी व मवासीराम पुत्र रतन सिंह वासी सुर्खपुर जिला रेवाडी के खिलाफ धारा 420,120बी0,467,468,471 भा0द0स0 तथा धारा 13(2) r/w 13(1)(e) पी0सी0 एक्ट के तहत अभियोग अंकित किये जाने का जांच अधिकारी द्वारा सुझाव दिया गया था तथा किसी अन्य व्यक्ति की संलिपत्ता पाई जाये तो उसे भी अभियोग के अनुसंधान के दौरान देख लिया जाने बारे सुझाव दिया गया था। मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के यादि क्रमांक 71/40/2017-5 चौकसी-1 दिनांक 22.07.2022 की अनुपालना में महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकूला कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 12315/आई0-2/रा0चौ0ब्यू0(ह0) दिनांक 29.07.2022 के अनुसार उपरोक्त आरोपियान के खिलाफ अभियोग दर्ज कराने के आदेश प्राप्त हुये है । महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकूला कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 13194/ आई-2/एस0वी0बी0 दिनांक 17.08.2022 के अनुसार लिखीत लेख अनुमोदीत होने उपरान्त प्राप्त हुआ है । ई0एच0सी0 औमप्रकाश नं0 1081/रेवाडी पुत्र श्री शेर सिंह गांव मुन्दडा तहसील कोसली जिला रेवाडी, उर्मिला पत्नी थावरमल निवासी भांगरोला गुरूग्राम, शपथ पत्र के गवाहन महेन्द्र सिंह पुत्र शेरसिंह वासी मुण्दडा, योगेन्द्र सिंह एडवोकेट (नोटेरी) पुत्र श्री शिव प्रकाश गाँव कुन्डल जाति राजपूत उप तहसील मनेठी जिला रेवाडी व मवासीराम पुत्र रतन सिंह वासी सुर्खपुर जिला रेवाडी के खिलाफ धारा 420, 120बी,467,468,471 भा0द0स0 तथा 13(2) r/w 13(1)(e) पी0सी0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने के लिए लिखीत लेख सिपाही देवेंन्द्र न0 659/रेवाडी के माध्यम से थाना राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम मे भेजा जा रहा है । अभियोग स्पेशल रिपोर्ट की श्रेणी मे है । अभियोग अंकित करने उपरान्त अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट स्पेशल वाहक द्वारा ईलाका मैजिस्ट्रेट व अफसरान बाला के पास भिजवाई जावे । मन उप निरीक्षक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध का अनुसंधान करने मे सक्षम अधिकारी नही हूँ । अत: अभियोग की नकल मिशल पुलिस मय असल लिखित लेख आगामी अनुसंधान हेतू अफसरान बाला के आदेश अनुसार निरीक्षक जयपाल के पास भिजवाई जावे । जांच क्रमाक 03/2017 रेवाडी की फाईले साथ सलग्न है । आज रा0चौ0ब्यूरो उप केन्द्र रेवाडी । प्रार्थी जयचन्द SI, जयचन्द (उप निरीक्षक) राज्य चैकसी ब्यूरो, उप-केन्द्र, दिनांक 23.08.2022 समय - 1.00 PM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को नियमानुसार भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट साहब रेवाडी बदस्त सिपाही सि0 देवेन्द्र न0 659/रेवाडी के भेजी जा रही है । मुकदमा हजा की असल मिशल पुलिस मय आमदा तहरीर बराये तपतीश नि0 जयपाल के पास भेजी जा रही है । आरिन्दा सिपाही सि0 देवेन्द्र न0 659/रेवाडी के हवाले की गई । नोट- श्री

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

मान जी, CCTNS मे तकनीकी खराबी के कारण CCTNS मे प्र0 सु0 रिपोर्ट के हालात दर्ज नही किये गये और ना ही रपट दर्ज कि गई अत अब CCTNS चालु होने पर प्र0 सु0 रिपोर्ट की रपट दर्ज की गई है

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Jaipal **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 94 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): KULDEEP SINGH

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Male	01/01/1980				**Is pox pitted:** Yes
2	Female	01/01/1982				**Is pox pitted:** Yes
3	Male	01/01/1979				**Is pox pitted:** Yes
4	Male	01/01/1987				**Is pox pitted:** Yes
5	Male	01/01/1969				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)